UPEW010018162025

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश

(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

निष्पादन वाद संख्या–02/2025

नवनीत कुमार मित्तल बनाम डा०यश निगम

दिनांक–07.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर डिक्रीदार अनुपस्थित है। डिक्रीदार की ओर से आज कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्णीत ऋणी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद साकेत न्यायालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–**Judl/ T.C./ F.77/SE/Saket/2025-1998New Delhi dated 01.04.2025 के** अनुक्रम में दिनांक 08.04.2025 को जनपद न्यायालय इटावा को प्राप्त हुआ,जिसे उक्त तिथि को ही इजराय वाद के दर्ज रजिस्टर करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद नवनीत कुमार मित्तल आदि की ओर से डा०एस०निगम के विरूद्ध वाद संख्या–714/2020 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत निष्पादन वाद में निर्णीत ऋणी डा०यश निगम की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित आये और उनकी ओर से दिनांक 02.01.2026 को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था कि निष्पादन वाद में निर्णीत ऋणी व डिक्रीदारान के मध्य म्यूचल सेलटमेंट हो गया था और दोनों के मध्य चार लाख में म्यूचल सेटलमेंट हुआ था और उसी आधार पर डिक्रीदार की ओर से दिनांक 17.10.2024 को दो किता डी०डी० 9585 मुवलिग 02,00059 रूपये प्राप्त किया गया,जिसको डिक्रीदार द्वारा अपने इजराय में छिपाया गया।

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.03.19 15:03:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि निर्णीत ऋणी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति डिक्रीदार द्वारा दिनांक 02.01.2026 को प्राप्त की गयी,किन्तु डिक्रीदार की ओर से आज तक उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है,जबकि आपत्ति हेतु डिक्रीदार को पर्याप्त अवसर भी दिये गये है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण में डिक्रीदार नवनीत कुमार मित्तल की ओर से इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करते हुये एक रजिस्टर्ड पत्र भी प्रेषित किया गया है,जोकि अभिलेख पर काज संख्या–14 ग/1 लगायत 14 ग/2 के रूप में उपलब्ध है। उक्त पत्र में प्रश्नगत निष्पादन वाद में नियत अगली तिथि के रूप में दिनांक 25.02.2026 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह परिलक्षित होता है कि डिक्रीदार को प्रश्नगत प्रकरण की पूर्ण जानकारी है, किन्तु वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि डिक्रीदार की ओर से पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करते हुये रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया था उसमें इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने फ्लैट खाली कर दिया है और वसूली वाला रूपया देने से मना कर दिया है। इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विपक्षी/निर्णीत ऋणी इटावा का रहने वाला है और उसकी अचल सम्पत्ति इटावा में है साथ ही उसके पास एक कार संख्या–UP75AA/9233 है,जोकि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है इसलिये साकेत न्यायालय ने इस निष्पादन वाद को इटावा के न्यायालय में अन्तरित किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण में डिक्रीदार न्यायालय के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है और न ही उसकी ओर से नियुक्त कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ है। निर्णीत ऋणी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के विरूद्ध भी डिक्रीदार की ओर से कोई आपत्ति आज तक दाखिल नहीं की गयी है। यह भी दर्शित है कि प्रकरण में डिक्रीदार को पर्याप्त अवसर दिये गये है साथ ही साथ डिक्रीदार को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है,किन्तु डिक्रीदार अनुपस्थित चल रहा है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रश्नगत निष्पादन वाद वर्ष 2025 से सम्बन्धित है। निष्पादन वाद के निस्तारण के

सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छः माह के अन्दर निस्तारित किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। डिक्रीदार को अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है,किन्तु आज भी डिक्रीदार अनुपस्थित है। डिक्रीदार की ओर से कोई अधिवक्ता भी बल देने हेतु उपस्थित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार प्रश्नगत निष्पादन वाद को आगे चलाये रखने के इच्छुक नहीं है।

अतः प्रश्नगत निष्पादन वाद डिक्रीदार की अनुपस्थिति व निर्णीत ऋणी की उपस्थिति में एवं डिक्रीदार द्वारा पैरवी के अभाव में बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाये।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।
(J.O.Code NO.U.P.1546)